उत्तर प्रदेश शासन

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

संख्या-38/2026/836/78-1-2026-45/2026

लखनऊः दिनांक: 22-07-2026

कार्यालय-ज्ञाप

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-763/78-1-2026-45/2026 दिनांक 10 जुलाई 2026 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2026 अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से पांच (5) वर्ष तक प्रभावी रहेगी। उक्त नीति में **स्टीयरिंग कमेटी** के गठन का प्राविधान है।

2- स्टीयरिंग कमेटी का कार्यक्षेत्र नीति के निर्धारित विजन (Vision), मिशन (Mission) एवं लक्ष्यों (Goals) के अनुरूप नीति के परिणामों की वार्षिक आधार पर निगरानी एवं समीक्षा करना होगा। समिति के कार्यों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं होंगे:

- विभिन्न विभागों द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे प्रयासों की निगरानी एवं समीक्षा करना;
- इनक्यूबेटर्स एवं स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों (Incentives) के अनुमोदन एवं वितरण की समीक्षा करना;
- राज्य में इनक्यूबेटर्स की मान्यता (Recognition) एवं स्थापना से संबंधित मामलों की निगरानी करना;
- स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (State Startup Ranking Framework) में राज्य के प्रदर्शन का मूल्यांकन एवं समीक्षा करना;

3- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रगति एवं अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक रणनीतिक दिशा-निर्देश प्रदान करना। उक्त समिति की संरचना निम्नवत है:-

क्र0सं0	सदस्य	भूमिका
1	माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार।	अध्यक्ष
2	माननीय मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
3	माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
4	माननीय मंत्री, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
5	माननीय मंत्री, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6	माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
7	माननीय मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	सदस्य
8	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
9	अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC), उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	
11	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
12	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
13	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
14	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
15	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
16	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
17	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
18	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
19	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
20	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
21	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य
22	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	सदस्य

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तैदव।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- समिति के सदस्यगण
2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उ0प्र0 शासन।

5- निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ।

7- प्रबन्ध निदेशक यूपीडेस्को/श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड/अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

समीर

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।